संदर्भ सं0: 29 / 7888 22.8.2009

श्री नवीन चावला, आई0ए0एस0
मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत,
निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली

विषयः— <u>निर्वाचन के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में</u>

महोदय,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिऐशन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की प्रतिनिधि संस्था है और इन उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य में 1985 से सक्रिय है। वर्तमान में आई0आई0ए0 के 7000 से अधिक उद्यम सदस्य हैं और आई0आई0ए0 के यह उत्तर भारत की अग्रणी उद्य म प्रतिनिधि संस्था है।

गत 18.8.2009 को लखनऊ जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। इसके मद्देनजर इस विधानसभा क्षेत्र के साथ–साथ पूरे लखनऊ जिले में, जहां चुनाव नहीं भी हुए थे,वहां पर भी अवकाश घोषित कर दिया गया, जिससे पूरे जिले की सारी शिक्षण, औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प हो गईं और करोड़ों की आर्थिक हानि हुई।

Representation of the Peoples Act 1951 के Sec135 B की व्याख्या में भारत के माननीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है– 'All establishments and Shops shall be closed on the day of pole in the constituency, where general election/ by election is to be held" इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित होगा, जहां निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जिले के केवल एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने पर पूरे जिले में अवकाश घोषित करना माननीय निर्वाचन आयोग के उपरोक्त स्पष्टीकरण के सर्वथा विपरीत है।

आई0आई0ए0 इस बात की पक्षधर है कि चुनाव में मतदान करना देश के मतदाता का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। इसलिए मतदान करने वाले नागरिक को अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना तर्कसंगत है। ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान हेतु अवकाश देना उचित लगता है। लेकिन, जो मतदाता नहीं हैं या जो मतदाता हो कर भी मतदान नहीं करते, ऐसे नागरिक इस सुविधा को पाने के अधिकारी नहीं होने चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में आई0आई0ए0 का प्रतिवेदन है कि –

1. किसी क्षेत्र में मतदान होने पर अन्य क्षेत्रों में अवकाश घोषित न किया जाए। इसके स्पष्ट निर्देश माननीय निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राज्य सरकारों को प्रेषित करने की कृपा करें।

2. केवल उसी मतदाता को अवकाश की सुविधा मिले, जिसने सचमुच मतदान किया हो। यदि मतदाता ने अपने कार्यस्थल से मतदान हेतु अवकाश ले लिया है और मतदान नहीं किया है, तो उस मतदाता के खिलाफ दण्ड का प्राविधान करने की कृपा करें। अतः मतदाता होकर भी मतदान न करने वाले नागरिक को मतदान वाले दिन अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए।

3. जो मतदाता ही नहीं है, उसे अवकाश दिया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः आई0आई0ए0 का नम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार तत्संबंधित एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। इससे एक ओर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, साथ ही देश का प्रजातंत्र भी मजबूत होगा।

आशा है आप आई0आई0ए0 के इस निवेदन पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करने के कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

डी0एस0वर्मा
अधिशासी निदेशक